## FORM OF CERTIFICATE TO BE PRODUCED BY OTHER BACKWARD CLASSES APPLYING FOR APPOINTMENT TO POSTS UNDER THE GOVERNMENT OF INDIA

This is to certify that Shri/Smt./Kumar	i
son/daughter of	of village/town
in D	vistrict/Division
in the State/Union Territory	belongs to the
com	munity which is recognised as a backward
class under the Government of	India, Ministry of Social Justice and
Empowerment's Resolution No	dated*.
Shri/Smt./Kumari	and/or his/her
family ordinarily reside(s) in the	District/Division
of the	State/Union Territory. This is also
to certify that he/she does not belong	g to the persons/sections (Creamy Layer)
mentioned in Column 3 of the Schedul	e to the Government of India, Department
of Personnel & Training O.M. No.36012	:/22/93-Estt.(SCT) dt. 8.9.1993.**
	District Magistrate
Dated:	Deputy Commissioner etc.
Cool	
Seal	

Note:- The term "Ordinarily" used here will have the same meaning as in Section 20 of the Representation of the People Act, 1950.

<sup>\* -</sup> The authority issuing the certificate may have to mention the details of Resolution of Government of India, in which the caste of the candidate is mentioned as OBC.

<sup>\*\* -</sup> As amended from time to time

## भारत सरकार के अधीन पदों पर नियुक्ति के लिए आवेदन करने हेतु अन्य पिछड़े वर्ग द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला प्रमाणपत्र

माणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी	के
पुत्र/सुपुत्री	
व/शहर जिला/प्रभाग राज्य/संघ रा	ज्य क्षेत्र
समुदाय के अंतर्गत आते हैं, जिसे भारत सर	कार के
माजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के दिनांक के संकल्प	संख्या
* के तहत पिछड़े वर्ग के रूप में मान्यता प्रदान की गई है ।	
/श्रीमती/कुमारी और/या उनकी/उनका परिवार साधारण	तया
जिला/प्रभाग में	
ज्य/संघ राज्य क्षेत्र में रहता है । यह भी प्रमाणित किया जाता है कि वह/वे कार्मिक एवं प्रा	शेक्षण
भाग, भारत सरकार के दिनांक 8.9.1993 ** के का.ज्ञा.सं. 36012/22/93-Estt.(SCT	`), की
नुसूची के कॉलम 3 में वर्णित व्यक्तियों / वर्गों (क्रीमी लेयर) से संबंधित नहीं है ।	
ਜ਼ਿਕਾ ਹ	मजिस्ट्रेट
	न्त आदि
नांक :	iti oiliq
मुहर	
	- <del> </del>
- प्रमाण पत्र जारी करने वाले प्राधिकारी को भारत सरकार के उस संकल्प का उल्लेख करन	। याहर
सिकं तहत अभ्यर्थी की जाति को अन्य पिछड़ा वर्ग के रूप दिखाया गया है ।	
- समय-समय पर यथासंशोधित	
ट:- यहां इस्तेमाल "साधारणतया") शब्द का वही अर्थ है जो लोक प्रतिनिधि अधिनियम, 19	950 की
रा 20 में दिया गया है।	